न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 173/2023
जीसीएमएस नं. :— 2023/274

प्रार्थी :—
1. घेवरराम पुत्र मोतीराम
2. जयरूपराम पुत्र मोतीराम
3. हनुमानराम पुत्र गोपाराम
4. तेजाराम पुत्र गोपाराम
5. जीवणराम पुत्र गोपाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण साथीन तहसील पीपाड़ शहर

बनाम अप्रार्थीगण :—
1. सोहनराम पुत्र भबूतराम
2. धर्माराम पुत्र मदरूपराम
3. ओमाराम पुत्र मदरूपराम
4. अंकिता पुत्री चन्द्राराम
5. अनुष्का पुत्री चन्द्राराम
6. प्रिया पुत्री चन्द्राराम
सभी जातियान जाट निवासीगण साथीन तहसील पीपाड़ शहर
7. तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीगण की ओर से
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से

दर्ज दिनांक :—19/09/2023

"निर्णय"

दिनांक : 18/12/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अग्रर्थी संख्या 01 से 06 के पूर्वज रामू, मोती पिता खूमाराम की अन्य सहखातेदारान के साथ साथ संयुक्त खातेदारी कब्जासुद्ध जमीन ग्राम साथीन की राजस्व सीमा मे खसरा नम्बर 2047 रकबा 40 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी अवल, खसरा नम्बर 2045 रकबा 03 बिस्वा किस्म गै मु बेरा, खसरा नम्बर 2046 रकबा 10 बिस्वा किस्म गै मु खड्डा कुल खसरा 03 कुल रकबा 41 बीघा आई हुई है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2025—2028 तक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इद्राज है, जिसमे रामू, मोती वल्द खूमाराम का 2/5 वां हिस्सा दर्ज है। सबूत में जमाबंदी संवत 2021 से 2024, 2025—2028 तक संलग्न पेश. है। प्रार्थीगण मोतीराम के वारिसान है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 रामूराम के वारिसान है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का उक्त वादग्रस्त आराजी में 2/5 वां हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 06 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने वादग्रस्त आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु जमाबंदी नकल हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने दिनांक 25/06/2023 को प्रार्थीगण को कहा कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज/इंद्राज नहीं है। इस पर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय से सेटलमेन्ट से लेकर जमाबन्दी नकले प्राप्त की इस पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि सेटलमेन्ट से सम्वत 2025–2028 जमाबंदी तक जमाबंदी में प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम का नाम जमाबंदी में इन्द्राज है इसके पश्चात राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवंश रामूराम फौत होने पर रामूराम के वारिसान के नाम इन्द्राज कर दिये तथा प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम का नाम इन्द्राज करने से रह गया जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश 2029–2032 की जमाबंदी में इंद्राज नहीं हुआ। रामुराम के दो पुत्र मदरूपराम, भबूतराम थे जिनमें भबूतराम फौत होने से मदरूपराम पुत्र रामूराम, सोहनराम पुत्र भबूतराम 2/5 वॉ हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि मदरूपराम पुत्र रामूराम, सोहनराम पुत्र भबूतराम व मोतीराम पुत्र खूमाराम 2/5 वॉ हिस्सा दर्ज होना चाहिए । तत्पश्चात् मदरूपराम फौत हो गया जिससे मदरूपराम के वारिसान ओमाराम, चन्द्राराम, धर्माराम पिता मदरूपराम, सोहनराम पुत्र भबूतराम 2/5 वा हिस्सा गलत रूप से इन्द्राज हो गया तथा प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम का नाम सेवन से त्रुटिवश दर्ज नहीं हुआ। जबकि वादग्रस्त आराजी अन्य सहखातेदारान के साथ–साथ प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के पूर्वजो का 2/5 वा हिस्सा की खातेदारी कब्जासुद जमीन है यानि प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम का 1/5 वॉ हिस्सा व अप्रार्थीगण के पूर्वज का 1/5 वॉ हिस्सा रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर अन्य सहखातेदारान के साथ–साथ प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम पुत्र खूमाराम, अप्रार्थी संख्या 01 से 06 सोहनराम पुत्र भबूतराम, धर्माराम पुत्र मदरूपराम, ओमाराम पुत्र मदरूपराम, अंकिता अनुष्का प्रिया पुत्रीयान चन्द्राराम 2/5 वॉ हिस्सा दर्ज कर दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 07 ने उक्त दुरूस्ती माननीय न्यायालय से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त अराजी का राजस्व रेकर्ड फरमाया जाकर अन्य सहखातेदारान के साथ साथ मोतीराम वल्द खूमाराम 1/5 वा हिस्सा, प्रत्येक अप्रार्थी संख्या एक से छः का 1/30–1/30 वा हिस्सा दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाने का आदेश फरमावे ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश कच्छावाह ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार यहाँ पर यह अकित करना आवश्यक हो गया है कि खुमाराम के दो पुत्र मोतीराम व रामुराम है वक्त सेटलमेन्ट से पहले ही खुमाराम जी का स्वर्गवास हो गया मोतीराम, रामूराम पुत्र खुमाराम वक्त सेटलमेन्ट जीवीत थे उनके नाम से खातेदारी भूमियां आई हुई है कुछ भूमिया अलग अलग खातेदारी मे इन्द्राज है व कुछ भूमियां मोतीराम व रामूराम के शामलाती खाते में इन्द्राज है। वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 1190 क्षेत्रफल 2.4432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2052 क्षेत्रफल 1.5209 हैक्टेयर भूमि गोपाराम पुत्र मोतीराम के नाम से इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हो रखी है। मोतीराम पुत्र खुमाराम, रामूराम पुत्र खुमाराम व गोपाराम पुत्र मोतीराम के नाम से स्थित समस्त कृषि भूमियों का आज से करीब साठ वर्ष पहले आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाड़ा करके मोतीराम पुत्र खुमाराम के बंट में 1/2 हिस्से की भूमि रखी गई व रामूराम पुत्र खुमाराम के बंट में 1/2 हिस्से की भूमि बंट में रखी हुई है उक्तानुसार ही मौके पर पिछले साठ वर्षों से अलग अलग कब्जाकाश्त है। खसरा नम्बर 2047 खसरा नम्बर 2047 में प्रार्थीगण के बंट की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही बंट में आई हुई है। जिसके चारो तरफ पत्थरो की दीवार निकाली हुई है वर्तमान में हड़मानराम पुत्र गोपाराम के बंट में उक्त भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थीगण के बंट में खसरा नम्बर 2047 में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि बंट में आई हुई जिसके तीन तरफ तारबन्दी की हुई है एक तरफ हनुमानराम की दीवार है। खसरा नम्बर 2047 के अन्य सहखातेदारान् को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है इस बिनाय पर भी उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाने योग्य है। उक्त भूमि में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि रामूराम पुत्र खुमाराम के वारिसान के बंट में आई हुई है। 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोतीराम पुत्र खुमाराम के बंट में आई हुई है। 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्राथी हनुमानराम पुत्र गोपाराम के बंट में आई हुई है। जिस पर हनुमानराम का ही कब्जा है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 2047 2045, 2046 के अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार संयोजित नहीं किया है इस बिनाय पर भी उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाने योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज होते ही सभी सहखातेदारों के हिस्से कम ज्यादा होंगें इसलिए अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाना आवश्यक है। मोतीराम वल्द खुमाराम व उनके वारिसान का उक्त भूमि में 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि बंट में आई हुई है। 1/5 वां हिस्सा मोतीराम के बंट में नहीं आया हुआ है। प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए खसरा नम्बर 2047 की भूमि में मात्र 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि बंट में होते हुए भी उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में ज्यादा भूमि इन्द्राज करवाने की फिराक में एवं उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है अगर रेकर्ड दुरूस्ती होती है तो सभी सहखातेदारान् के हिस्से प्रभाावित होंगें। इसलिए सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी उक्त प्रार्थना पन्न काबिल खारिज फरमाया जायें।

अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार पीपाड़ शहर की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम साथीन चक II की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 2047 रकबा 40 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2045 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2046 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 03 कुल रकबा 41 बीघा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सहखातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड अभिलेख अनुसार स्वीकार योग्य है। खतौनी बन्दोबस्त की खाता संख्या 242 अनुसार खसरा नम्बर 2045, 2046, 2047 कुल रकबा 41 बीघा में रामु व मोती पिता खुमाराम 2/5 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण मोतीराम के वारिसान एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

06 रामूराम के वारिसान है। ग्राम साथीन की जमाबंदी 2021–24 में रामु, मोती पिता खुमाराम 2/5 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 2/5 वॉ हिस्सा है एवं दोनो अपने–अपने हिस्से में कब्जाकाश्त विद्यमान है। सम्वत 2025–28 तक जमाबंदी में प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम का नाम अंकित है। बाद में 2029–32 की जमाबंदी में प्राथीगण के पूर्वज का नाम त्रुटिवश छुट गया । नामान्तरकरण संख्या (588 खाता संख्या) 433 का अमलदरामद करते समय जमाबंदी सम्वत 2029–32 में मोती पिता खूमा का नाम छूट गया जो आज तक छूटा हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजी में मोतीराम पुत्र खुमाराम हिस्सा 1/5 का नाम शामिल किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुए पुनः निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम पुत्र खुमाराम हिस्सा 1/5 राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 से 06 ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम साथीन चक II में खसरा संख्या 2045, 2046, 2047 में प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीराम पुत्र खुमाराम का हिस्सा 1/5 वॉ हिस्सा प्रार्थीगण के हक में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर